हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग ।

संख्याः गृह (क)क (1)-7/2007 **तारीख 28 जून, 2010**

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007(2007 का अधिनियम संख्या 17) की धारा 141 के साथ पठित धारा 17 की उपधारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं और जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 117 के अधीन इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना तारीख 29-05-2010 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 29-05-2010 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार और तकनीकी सेवाएं निदेशालय, अराजपत्रित अधिकारी, ग्रेड-1 और ग्रेड-।। भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
पदों का नाम ।	2.	(क) आरक्षी(कॉंस्टेबल) (ख) मुख्य आरक्षी (हैड कॉंस्टेबल) (ग) सहायक उप-निरीक्षक (घ) उप-निरीक्षक (ङ) निरीक्षक
पदों की संख्या :	3.	(क) आरक्षी(कॉंस्टेबल) =212 (ख) मुख्य आरक्षी (हैड कॉंस्टेबल) =136 (ग) सहायक उप-निरीक्षक =139 (घ) उप-निरीक्षक = 63 (ङ) निरीक्षक = 23

वेतनमान :	4.	(क) आरक्षी(कॉंस्टेबल) 5910-20200रूपए जमा 1900 रूपए ग्रेड पे (ख) मुख्य आरक्षी (हैड कॉंस्टेबल) 5910-20200 रूपए जमा 2400 रूपए ग्रेड पे (ग) सहायक उप-निरीक्षक 5910-20200 रूपए जमा 3000 रूपए ग्रेड पे (घ) उप निरीक्षक 10300-34800 रूपए जमा 3600 रूपए ग्रेड पे (ङ) निरीक्षक 10300-34800 रूपए जमा 3800 रूपए ग्रेड पे
पदों का वर्गीकरणः	5.	वर्ग-III (अराजपत्रित)
सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, अधिवास और हैसियत (स्वरूप):	6.	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
परिवीक्षाः	7.	सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ।
निरर्हताएंः	8.	<u>कोई भी व्यक्ति</u>- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करार पाया है या किया है, जिसके एक जीवित पति/पत्नी है; या (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह करार पाया है या किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः परन्तु यदि, सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह करना अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन (लागू होने) से छूट दे सकेगी ।

स्थानान्तरण का दायित्वः	9.	सेवा का प्रत्येक सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य/दायी होगा ।
आरक्षणः	10.	सीधी भर्ती के साथ-साथ प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए पदों में आरक्षण, सरकार द्वारा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा ।
एक पंक्ति(रैंक) से अन्य प्रोन्नतिः	11.	पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं निदेशालय का कोई भी कर्मचारी एक पंक्ति (रैंक) से अन्य में प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं होगा, यदिः- (क) उसने पिछले तीन वर्षों (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से संगणित किए जाने वाले) के दौरान मुख्य दण्ड पाया है; या (ख) उसने पिछले छह मास (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से संगणित किए जाने वाले) के दौरान परिनिंदा का दण्ड पाया हैः परन्तु पुलिस महानिदेशक किसी भी कर्मचारी को विशिष्ट सेवा और कर्मचारी के अनुकरणीय आचरण की दशा में इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
आरक्षियों(कॉंस्टेबलों) की भर्ती : **(i)** सीधी भर्ती के लिए आयु;	12.	(क) आरक्षी (कॉंस्टेबल) के पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा बीस से पच्चीस वर्ष होगीः परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सताईस वर्ष होगी। (ख) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस मास के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(ii) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:		**(क) अनिवार्यः** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/इलैक्ट्रोनिक एवं दूर संचार/सूचना प्रोद्यौगिकी में तीन वर्ष की अवधि के इंजीनियरिंग डिप्लोमा सहित, दसवीं पास होना चाहिए। **(ख) वांछनीयः** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान।	
(iii) शारीरिक मापदण्डः		**(क) ऊँचाईः** (1) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) सहित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ।	पुरुष 5′-6″ महिला 5′-2″
		(2) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए।	पुरुष 5′-4″ महिला 5′-0″
		(ख) छातीः केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए।	
		(1) सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ.बी.सी.)	31″ X 32″
		(2)अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	29″ X 30″
(iv) भर्ती की पद्धतिः		शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वाराः भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसका प्रमुख उप महानिरीक्षक पुलिस, हिमाचल प्रदेश से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा । बोर्ड के अन्य	

		सदस्य महानिरीक्षक पुलिस, हिमाचल प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे । प्रथमतः, अभ्यर्थियों का ऊपर यथावर्णित शारीरिक माप लिया जाएगा । अपेक्षित शारीरिक मापदण्ड के अनुरूप पाया गए अभ्यर्थियों की भर्ती की भर्ती परीक्षा ली जाएगी, जो निम्नलिखित होगीः- 1.लिखित परीक्षा 70 अंक 2. शारीरिक दक्षता परीक्षा 20 अंक 3. व्यक्तित्व परीक्षा 10 अंक कुल 100 अंक
(v) शारीरिक दक्षता परीक्षाः		शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नलिखित विषयों में से गठित होगी, अर्थात्:-

कम संख्या	विषय	पुरुष के लिए न्यूनतम अर्हता	महिला के लिए न्यूनतम अर्हता	अंक	समय/दूरी पुरुष	समय/दूरी महिला	अंक
1.	100 मीटर	17 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं)	20सैकण्ड(कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं)	5	17 सैकण्ड 16.5सैकण्ड 16 सैकण्ड 15.5सैकण्ड 15 सैकण्ड 14.5सैकण्ड	20 सैकण्ड 19.5 सैकण्ड 19 सैकण्ड 18.5 सैकण्ड 18 सैकण्ड 17.5 सैकण्ड	2 2.5 3 3.5 4 5
2.	800 मीटर दौड़(महिला के लिए 400 मीटर)	3 मिनट 10 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं)	2 मिनट 45 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं)	5	3.10 मिनट 3.05 मिनट 3.00 मिनट 2.55 मिनट 2.50 मिनट 2.45 मिनट	2.45 मिनट 2.40 मिनट 2.35 मिनट 2.30 मिनट 2.25 मिनट 2.20 मिनट	2 2.5 3 3.5 4.5 5
3.	ऊंची कूद (High Jump)	1.20मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	न्यूनतम 65 सैंटीमीटर (प्रत्येक स्तर पर अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	5	1.20 मीटर 1.15 मीटर 1.20 मीटर 1.15 मीटर 1.10 मीटर 1.05 मीटर	65 सैंटीमीटर 70 सैंटीमीटर 75 सैंटीमीटर 80 सैंटीमीटर 85 सैंटीमीटर 90 सैंटीमीटर	2.5 3 3.5 4 4.5 5
4.	चौड़ी कूद (Broad Jump)	3.5 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	1.75 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	5	3.50मीटर 3.70 मीटर 3.90 मीटर 4.10 मीटर	1.75 मीटर 1.95 मीटर 2.15 मीटर 2.35 मीटर	2 3 4 5

5.	शॉट पुट पुरुष के लिए 7.275 किलोग्राम और महिला के लिए 4.00 किलोग्राम	4 मीटर (अधिकतम. तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	3 मीटर (अधिकतम. तीन प्रयास अनुज्ञात हैं)	5	4.00 मीटर	3.00 मीटर	2
					4.50 मीटर	3.50 मीटर	2.5
					5.00 मीटर	4.00 मीटर	3
					5.50 मीटर	4.50 मीटर	3.5
					6.00 मीटर	5.00 मीटर	4
					6.50 मीटर	5.50 मीटर	4.5
					7.00 मीटर	6.00 मीटर	5

(vi) नियुक्ति और अनुशासन अधिकारी		(क) पुलिस अधीक्षक (सी. टी. एस.) आरक्षी (कॉंस्टेबल) का नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी (सी. टी. एस.) होगा। भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उनको आरक्षी (कॉंस्टेबल) के पद के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्य घोषित किए जाने के पश्चात् तथा सत्यापन पर, उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्ति अस्थायी रूप से प्रस्थापित की जाएगी। नियुक्त किए गए कर्मचारी को बुनियादी रंगरूट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। यदि नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी बुनियादी रंगरूट प्रशिक्षण को पास न कर सके, तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। (ख) बुनियादी रंगरूट प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेड–III तकनीकी पाठ्यक्रम करना होगा।
मुख्य आरक्षी की पंक्ति की प्रोन्नति (सूची 'सी' के लिए प्रवेश):	13.	(1)मुख्य आरक्षी की पंक्ति (रैंक) में प्रोन्नति निम्नलिखित रीति में की जाएगी:–

		बुनियादी (बेसिक) भर्ती प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात्, नियुक्त व्यक्तियों को पुलिस संचार एंव तकनीकी सेवाएं निदेशालय द्वारा संचालित किए जाने वाले ग्रेड–111 (तकनीकी पाठ्यक्रम) में रखा जाएगा। ग्रेड–111 पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के लिए नामनिर्देशन, उनके चयन के समय पर, भर्ती बोर्ड द्वारा, उनको समनुदेशित सूची के गुणागुण के अनुसार किया जाएगा। उन आरक्षियों के नामों को, जो ग्रेड–111 तकनीकी पाठ्यक्रम अर्हित करते हैं, पुलिस अधीक्षक, पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं निदेशालय द्वारा बनाई जाने वाली सूची 'सी' में प्रविष्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के नाम, जिन्होंने सफलतापूर्वक ग्रेड–111 पाठ्यक्रम अर्हित किया है, उनके गुणागुण के कम में, जिस में उन्होंने ग्रेड–111 पाठ्यक्रम अर्हित किया है, के अनुसार सूची 'सी' में प्रविष्ट किए जाएंगे और विशेष भत्ता, यदि पद के साथ कोई है, अनुज्ञात किया जाएगाः परन्तु आरक्षी जो प्रथम प्रयास में ग्रेड–111 पाठ्यक्रम अर्हित करने में असफल रहते हैं, को छह मास के पश्चात् ग्रेड–111 की सम्पूर्ण परीक्षा में प्रवेश का और अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो पश्चात्वर्ती बैच में ग्रेड–111 पाठ्यक्रम अर्हित करते हैं को, उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने पूर्वत्तर बैच में ग्रेड–111 पाठ्यक्रम अर्हित किया है, के नीचे रखा आएगा।

		(2) सूची 'सी' में उन आरक्षियों के नामों को प्रविष्ट करने के पश्चात् और जिन्होंने लाइव सर्किट/ नेटवर्क/ वर्कशाप/ भण्डार इत्यादि में आठ वर्ष कार्य किया है, रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन वे मुख्य आरक्षियों की पंक्ति (रैंक) में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।
		(3) सूची 'सी' में आरक्षियों की मुख्य आरक्षियों की पंक्ति की उनकी आगामी प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता, उप महानिरीक्षक द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा न्यायनिर्णीत की जाएगी । विभागीय प्रोन्नति, विचारणीय क्षेत्र में आरक्षियों के सेवा अभिलेख का निर्धारण करेगी तथा अयोग्य को अस्वीकृति के अध्यधीन, वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर सिफारिश करेगी ।
प्रोन्नति सूचि 'डी', सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति में ग्रेड-।। प्रोन्नति में प्रवेशः	14	(1) मुख्य आरक्षियों की बाबत जिनके लिए सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, प्रोन्नति सूची 'डी' उप महानिरीक्षक द्वारा अनुरक्षित की जाएगी । समस्त मुख्य आरक्षी– (क) जिन्होंने मुख्य आरक्षी की पंक्ति में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; और (ख) जिन्होंने समाधानपूर्वक लाइव सर्किट/ नैटवर्क/ वर्कशाप/ भण्डार इत्यादि में कार्य किया हो, सूची 'डी' में प्रोन्नति पर अपनें नामों की प्रविष्टि के लिए पात्र होंगे ।

		(2) प्रोन्नति सूचि 'डी' में प्रवेश के लिए चयन, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पात्र मुख्य आरक्षियों में से वर्ष में एक बार किया जाएगा । विभागीय प्रोन्नति समिति, सेवा अभिलेखों/वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के परीक्षण के आधार पर प्रोन्नति सूची 'डी' में प्रवेश के लिए मुख्य आरक्षियों की उपयुक्तता का निर्णय करेगी । विभागीय प्रोन्नति समिति का संचालन करते समय, पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यकारी पुलिस(एक्जीक्यूटिव पुलिस) में समानान्तर पंक्ति के लिए विरचित नियमों और मानकों का अनुसरण किया जाएगा । प्रोन्नति सूची 'डी' में नाम प्रविष्ट करते समय पुलिस अधीक्षक, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखेगा । (3) प्रोन्नति सूची 'डी' में रखे गए मुख्य आरक्षी को रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन समय-समय पर ग्रेड-।। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अर्हित करने के पश्चात्, उसे सेवा अभिलेख/वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के परीक्षण के पश्चात् सूची 'डी' की वरिष्ठता के कम में, सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति में प्रोन्नत किया जाएगा । विभागीय प्रोन्नति समिति संचालित करते समय पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यकारी पुलिस में समानान्तर पंक्तियों के लिए बनाए नियमों और मानकों का अनुसरण किया जाएगा । (4) प्रोन्नति सूचि 'डी' मुख्य आरक्षी, जो ग्रेड-।। पाठ्यक्रम को अर्हित करने में असफल रहता है, को छह मास के पश्चात् परीक्षा पास करने के लिए

		दूसरा अवसर दिया जाएगा और इस पाठ्यक्रम को अर्हित करने के पश्चात् ही उन्हें सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति में प्रोन्नत किया जाएगा, यदि ऐसा मुख्य आरक्षी ग्रेड–।। पाठ्यक्रम अर्हित करने में पुनः असफल रहता है, तो उसका नाम प्रोन्नति सूची 'डी' से हटा दिया जाएगा ।
प्रोन्नति सूची 'ई' उप निरीक्षक की पंक्ति की प्रोन्नति के ग्रेड–। के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशः	**15**	(1) उप निरीक्षक की पंक्ति (रैंक) में साठ प्रतिशत् पद, पात्र सहायक उप–निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे । (2) सहायक उप–निरीक्षकों की बाबत, जिन पर उप–निरीक्षक की पंक्ति की प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है प्रोन्नति सूची 'ई' उप महानिरीक्षक द्वारा अनुरक्षित जाएगी । समस्त सहायक उप–निरीक्षकों– (क) जिन्होंने ग्रेड–। पाठ्यक्रम उर्तीण करने के पश्चात् प्रोन्नति पर सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । (ख) प्रोन्नति सूची 'ई' में प्रवेश के लिए चयन, उप–महानिरीक्षक द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा, पात्र सहायक उप–निरीक्षकों में से वर्ष में एक बार किया जाएगा । विभागीय प्रोन्नति समिति, सेवा अभिलेखों/वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के परीक्षण के पश्चात् प्रोन्नति सूची 'ई' के प्रवेश के लिए पात्र सहायक उप–निरीक्षक की उपयुक्तता को देखेगी । विभागीय प्रोन्नति समिति का संचालन करते समय पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यकारी पुलिस में समानांतर पंक्ति के लिए विरचित नियमों और मानकों का

		अनुसरण किया जाएगा । (3) सूची 'ई' में रखे गए सहायक उप–निरीक्षक को ग्रेड–। पाठ्यक्रम में परीक्षण दिया जाएगा और इस पाठ्यक्रम को अर्हित करने के पश्चात् सेवा अभिलेख/वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के परीक्षण के पश्चात् सूची 'ई' में वरिष्ठता के आधार पर उप–निरीक्षक की पंक्ति में प्रोन्नत किया जाएगा । विभागीय प्रोन्नति समिति का संचालन करते समय पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यकारी पुलिस में समानान्तर पंक्ति के लिए विरचित नियमों और मानकों का अनुसरण किया जाएगा । (4) प्रोन्नति सूची 'ई' पर सहायक उप–निरीक्षक, जो ग्रेड–। पाठ्यक्रम अर्हित करने में असफल रहते हैं, तो छह मास की अवधि के पश्चात् परीक्षा पास करने के लिए दूसरा अवसर दिया जाएगा और उन्हें यह पाठ्यक्रम अर्हित करने के पश्चात् ही उप–निरीक्षक की पंक्ति(रैंक) में प्रोन्नत किया जाएगा। यदि ऐसा सहायक उप–निरीक्षक पुनः ग्रेड–। पाठ्यक्रम को अर्हित करने में असफल रहता है, तो उसका नाम प्रोन्नति सूची 'ई' से हटा दिया जाएगा । (5) उप–निरीक्षकों के पदों के शेष चालीस प्रतिशत् पद, भर्ती की दो पद्धतियों अर्थात् बीस प्रतिशत् सीधी भर्ती के माध्यम से और बीस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन द्वारा भरे जाएंगे । इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान(ओं) से इंजीनियरिंग स्नातक/टैक्नोलोजी(प्रौद्योगिकी) स्नातक/ इंजीनियर्स संस्थान(इलैक्ट्रोनिकस और दूरसंचार इंजीनियरिंग/ कम्पयूटर

		विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) के सहयुक्त सदस्य या कम्पयूटर एप्लीकेशन में स्नातकोतर/इलैक्ट्रोनिक एक्रीडीटेशन सर्टिफिकेट कोर्स विभाग (डीओईएसीसी) से "बी" स्तर प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य होगी । (6) बीस प्रतिशत् पदों की सीधी भर्ती, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी । इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान(ओं) से इंजीनियरिंग स्नातक/प्रोद्योगिकी स्नातक/इंजीनियर्स संस्थान (इलैक्ट्रोनिकस और दूरसंचार इंजीनियरिंग/कम्पयूटर विज्ञान/सूचना प्रोद्योगिकी) के सहयुक्त सदस्य या कम्पयूटर एप्लीकेशन में स्नातकोतर/इलैक्ट्रोनिक एक्रीडीटेशन सर्टिफिकेट कोर्स विभाग(डी ओईएसीसी) से "बी" स्तर प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य होगी । उप-निरीक्षक के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए आयु 23 से 28 वर्ष होगी। सीधे भर्ती किए गए उप-निरीक्षकों को, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में नौ मास का भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना पड़ेगा । भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यकम को उतीर्ण करने के पश्चात्, उन्हें पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवा प्रशिक्षण स्कूल में एक मास की अवधि के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम भी करना पड़ेगा । (7) शेष बीस प्रतिशत् पद मान्यता प्राप्त संस्थान(ओं) से शैक्षिक अर्हता अर्थात् इंजीनियरिंग स्नातक/ प्रोद्यौगिकी स्नातक/ इंजीनियर्स संस्थान (इलैक्ट्रोनिकस और दूरसंचार इंजीनियरिंग/ कम्पयूटर विज्ञान/सूचना प्रोद्यौगिकी) के सहयुक्त सदस्य या

		कम्पयूटर एप्लीकेशन में स्नातकोतर/ इलैक्ट्रोनिक एक्रीडीटेशन सर्टिफिकेट कोर्स विभाग(डी ओईएसीसी) से ''बी'' स्तर प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य अर्हता रखने वाले कर्मचारियों में से हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे । निदेशालय में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा वाले तथा पन्तालीस (45) वर्ष से अनधिक आयु वाले कर्मचारी, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश होने हेतु पात्र होंगे, ऐसा न होने पर पद(पदों) की सीधी भर्ती को कोटे से भरा जाएगा । जो कर्मचारी विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं प्रशिक्षण स्कूल में ग्रेड–1 पाठ्यक्रम करेंगे । (8) उप– निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक मापदण्ड सीधी भर्ती और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए वही होंगे, जो इन नियमों के नियम 12 के खण्ड (V) में यथावर्णित हैं । (9) प्रोन्नत किए गए कर्मचारियों और सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता, प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए नियत अनुपात के आधार पर नियत की जाएगी ।
प्रोन्नति सूची 'एफ', निरीक्षक के पद पर प्रोन्नतिः	16	(1) प्रोन्नति सूची 'एफ' वर्ष में एक बार उप–महानिरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाएगी । इस सूची के लिए चयन, महानिदेशक, पुलिस, हिमाचल प्रदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विभागीय प्रोन्नति समिति की सहायता से किया जाएगा । प्रोन्नति सूची 'एफ' में अपने नामों

		को सम्मिलित करवाने के लिए केवल वही अधिकारी पात्र होंगे, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति में कम से कम पांच वर्ष की सेवा के साथ अधिष्ठायी उप निरीक्षक हैं । (2) निरीक्षक की पंक्ति हेतु प्रोन्नति, वरिष्ठता सूची 'एफ' के अनुसार की जाएगी । पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली विभागीय प्रोन्नति समिति, सेवा विशिष्टियों/वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच–पड़ताल करेगी और निरीक्षक की पंक्ति के लिए प्रोन्नति हेतु पात्र उप–निरीक्षकों के नामों की सिफारिश करेगी । विभागीय प्रोन्नति समिति के संचालन के समय, पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यकारी पुलिस में समानांतर पंक्तियों के लिए बनाए गए नियमों और मानकों का अनुसरण किया जाएगा ।
शिथिल करने की शक्तिः	17	जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करनां आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी ।
निर्वचनः	18	इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई शंका उत्पन्न होती है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
निरसन और व्यावृत्तियांः	19	(1) पत्र संख्याःगृह(ए) बी (12) 1/99 तारीख शून्य और स्थायी आदेश संख्याः पी0–1(5)सीओएमपी(एस.सी. आर.बी.)/93–02–10454–55,तारीख 22–7–2002 और हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू पंजाब पुलिस रूल्ज, 1934 के उपबन्धों द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित हिमाचल

		प्रदेश पुलिस बेतार संगठन के लिए 1999 का स्थायी आदेश संख्याः1 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक कि ये इन नियमों में सम्मिलित पदों को लागू हैं। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियम2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों या स्थायी आदेश के अधीन की गई कोई नियुक्ति या कोई बात या कोई कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः गृह (क)क (1)-7/2007, तारीख शिमला-2, 28 जून,2010
प्रतिलिपि निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव एवं प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश।
4 माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को उनके पत्र संख्याः Law-1-R&P/CTS/09-54458 dated 14-09-2009 के सन्दर्भ में
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त,हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त जिलाधीश हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
12. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश
13. वरिष्ठ विधि अधिकारी-II, विधि विभाग,हि० प्र० सचिवालय ।

14 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र मे प्रकाशन हेतु1 उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 3 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवायें1

15. संरक्षण नस्ति1

अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this department Notification No. Home (A) A (1) - 7/2007 Dated 28th June,2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
HOME DEPARTMENT

No. Home (A) A (1) - 7/2007 **Dated 28-06-2010**

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 17 read with section 141 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007,(Act No.17 of 2007) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the purposes of the Act ibid in which the same have been previously published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 29-05-2010 vide this Departement Notification of even number dated 29-05-2010 under section 117 of the Act ibid, namely ;-

Short title and commencement. 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Directorate of Police Communication and Technical Services, Non Gazetted Officers, Grade - I and Grade-II, Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of their in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Names of the posts. 2. (a).Constable

(b). Head Constable

(c). Assistant Sub- Inspector

(d). Sub Inspector

(e). Inspector

Number of Posts.	3.	(a).Constable = 212 (b). Head Constable = 136 (c). Assistant Sub -Inspector = 139 (d). Sub Inspector = 63 (e). Inspector = 23
Pay Scales.	4.	(a).Constable Rs. 5910-20200+ 1900 GP (b). Head Constable Rs. 5910-20200+ 2400 GP (c). Asstt. Sub-Inspector Rs. 5910-20200+3000 GP (d). Sub- Inspector Rs. 10300-34800 + 3600 GP (e). Inspector Rs. 10300-34800+3800 GP
Classification of posts.	5.	Class III (Non –Gazetted)
Nationality, domicile and character of persons to be appointed to a service.	6.	A candidate for appointment to any post must be a citizen of India.
Probation.	7.	A person appointed to any post in a service shall remain on probation for a period of two years.
Disqualification.	8.	No person- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to a service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

Liability to transfer.

9. A member of the service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh.

Reservation.

10. Reservation of posts for SC/ST/OBC/ Ex-serviceman etc. in direct recruitment as well as in promotions shall be as per instructions of Government on the subject from time to time.

Promotion from one rank to another.

11. No employee of the Directorate of Police Communication and Technical Services shall be eligible for promotion from one rank to another, if -

(a) he has earned a major punishment during the last three years (to be reckoned from the date of meeting of DPC); or

(b) he has been awarded punishment of censure during the last six months to be reckoned from the date of meeting of DPC:

Provided that the Director General of Police may exempt any employee from the

operation of this rule in the event of distinguished service and exemplary conduct of the employee.

Recruitment of Constables 12.

(i) Age for Direct Recruitment

(a) The age limit for recruitment to the post of Constable shall be between 20 to 25 years:

Provided that the upper age limit for the candidates belonging to Scheduled Castes /Scheduled Tribe and other Backward Classes (OBC) shall be 27 years.

(b) Age limit for direct recruitment shall be reckoned on the first day of the month in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.

(ii) Minimum Education and other qualifications required for direct recruitment

(a) **Essential:**

Should be a Matriculate with Engineering Diploma courses of 3 years duration in Computer Science /Electronic and Telecommunication/Information Technologyfrom a recognized Board /Institute.

(b) **Desirable :**

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh .

(III) Physical Standard:	(a) **Height:**
	For candidates belonging to General Category including OBC. — Male 5′-6″; Female 5′-2″
	For candidates belonging to SC/ST — Male 5′-4″; Female 5′-0″
	(b) **Chest:**
	For male candidates only:-
	(i) General and OBC 31″x32″
	(ii) SC/ST 29″x30″
(iv) Method of Recruitment :	100% by direct recruitment:
	The recruitment shall be made by a Recruitment Board headed by an officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police. Other members of Board shall be nominated by the Director General of Police, Himachal Pradesh.
	In the first instance, the candidates shall be subjected to physical measurements as mentioned above. Those candidates who conform to the required Physical standard shall be put to a

Recruitment Test consisting of following :-

1. Written Test — 70 Marks
2. Physical Efficiency Test — 20 Marks
3. Personality Test — 10 Marks

Total — 100 Marks

(v) Physical efficiency test.

The physical efficiency test shall consist of the following events, namely :-

Sr.No.	Event	Min.quali.for male	Min.quali.for female	Marks	Time/length Male	Time/length Female	Marks
1.	100 M Race	17 Sec (No additional attempt is allowed)	20 Sec (No additional attempt is allowed)	5	17 Sec 16.5 Sec 16 Sec 15.5 Sec 15 Sec 14.5 Sec	20 Sec 19.5 Sec 19 Sec 18.5 Sec 18 Sec 17.5 Sec	2 2.5 3 3.5 4 5
2.	800 M Race (400 M for Female)	3 minutes 10 seconds (No additional attempt is allowed)	2 Min. 45 Sec (No additional attempt is allowed)	5	3.10 min 3.05 min 3.00 min 2.55 min 2.50 min 2.45 min	2.45 min 2.40 min 2.35 min 2.30 min 2.25 min 2.20 min	2 2.5 3 3.5 4.5 5
3.	High Jump	1.20 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Min 65 cms (Maximum three attempts at each level are allowed)	5	1.20M 1.15M 1.20M 1.15M 1.10M 1.05M	65 cms 70 cms 75 cms 80 cms 85 cms 90 cms	2.5 3 3.5 4 4.5 5

4.	Broad Jump	3.5 Meters (Maximum three attempts are allowed)	1.75 Meter (Maximum three attempts are allowed)	5	3.50M 3.70M 3.90M 4.10M	1.75M 1.95M 2.15M 2.35M	2 3 4 5
5.	Shot Put 7.275 Kgs. For male and 4.00 Kgs. For Female	4 Meters (Maximum three attempts are allowed)	3 Meters (Maximum three attempts are allowed)	5	4.00 M 4.50 M 5.00 M 5.50 M 6.00M 6.50 M 7.00 M	3.00 M 3.50 M 4.00 M 4.50 M 5.00 M 5.50 M 6.00 M	2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

(vi) Appointing and Disciplinary authority

(a) The Superintendent of Police (CTS) shall be the Appointing and Disciplinary authority of Constable (CTS).

The candidates selected by the Recruitment Board shall be offered appointment temporarily by the appointing authority after they are declared medically fit for the post of Constable (CTS) and their character and antecedent found satisfactory on verification. The appointees shall successfully complete the Basic Recruits Training. In case, an appointee is unable to pass the Basic Recruits Training, his services shall be terminated.

(b) After Successful completion of Basic Recruit's Training, the appointees will be subjected to

Grade-III Technical course.

Promotion to the rank of Head Constable (Admission to list C)

13. (1)The promotions to the rank of Head Constable shall be made in the following manner:-

Immediately after successful completion of Basic Recruit Training, the appointees shall be put to Grade –III (Technical course) to be conducted by Directorate of Police Communication and Technical Services. The nomination of candidates for Grade-III course shall be made as per the merit assigned to them by the Recruitment Board at the time of their selection. The names of the constables who qualify in the Grade-III Technical Course shall be entered in the list "C" which shall be maintained by the Superintendent of Police, Directorate of Police Communication and Technical Services.

The names of the candidates who successfully qualify Grade-III course shall be entered in list "C" in order of their merit in which they have qualified Grade-III course and shall be allowed special allowance, if any ,attach to the post:

Provided that those constables who failed to qualify the Grade-III course in first attempt shall be given another chance after six months to appear in the whole of the Grade- III examination.

The candidates who qualify the Grade-III course in subsequent batches shall be placed below the candidates who have qualified the same in earlier batch.

(2). After the names of the Constables are entered in list "C" and they have worked on live circuits/ networks/ workshop/ stores etc. for eight years, they shall be eligible for the promotion to the rank of Head Constables subject to the availability of vacancies.

(3). The suitability of Constables on list "C" for their further promotion to the rank of Head Constable shall be adjudged by the Departmental Promotional Committee (D.P.C.) to be constituted by DIG. D.P.C. shall assess the service record of the Constables in the Zone of consideration and make recommendation on the basis of the principle of seniority subject to rejection of unfit.

Promotion List-D admission to Grade-II Promotion to the rank of Assistant Sub-Inspector.	14. (1).Promotion List "D" shall be maintained by the DIG in respect of Head Constables who are considered for promotion to the rank of Assistant Sub- Inspector: All Head Constables- (a) who have completed at least five years of services in the rank of Head Constable; and (b) who have satisfactorily worked on live circuits/ networks/ workshop/stores etc. shall be eligible for entry of their names on promotion in List "D". (2):Selection for admission to promotion List "D" shall be made once a year from amongst the eligible Head Constables by the Departmental Promotional Committee shall judge the suitability of eligible Head Constables for admission to the promotion List "D" on the basis of examination of service records/ACRs. While conducting the DPC, the rules and norms framed for the parallel ranks in the executive police by the Police Headquarter shall be followed. While entering the name on

promotion List "D", the Superintendent of Police shall maintain their inter-se-seniority.

(3). The Head Constable brought on promotion List "D" shall be given training in Grade-II course from time to time subject to the availability of vacancies and after qualifying this training course he shall be promoted to the rank of Assistant –Sub- Inspector in order of seniority of List "D" after examination of service records /ACRs. While conducting the DPC, the rules and norms framed for the parallel ranks in the executive police by the Police Headquarter shall be followed.

(4) Head Constable on promotion List-D who fails to qualify the Grade-II course shall be given second chance for clearing test after six months and promoted to the rank of Assistant Sub Inspector only after they qualify this course, if such a Head Constable again fails to qualify Grade-II course, his name shall be removed from the promotion List "D".

Promotion List-E admission to Grade-I Course Promotion to the rank of Sub- Inspector	15	(1). In the rank of Sub Inspector, 60% posts shall be filled up by way of promotion amongst the eligible Assistant Sub Inspectors. (2).Promotion list "E" shall be maintained by the DIG in respect of Assistant Sub Inspectors who are considered -for promotion to the rank of Sub Inspector. All Assistant Sub -Inspectors- (a) who have completed at least five years of services in the rank of Assistant Sub Inspector on promotion after passing the Grade-I course will be considered for promotion.
		(b) selection for admission to promotion List-E shall be made once in a year amongst the eligible Assistant Sub-Inspectors by Departmental Promotion Committee constituted by DIG. The Departmental Promotion Committee shall judge the suitability of eligible Assistant Sub Inspector for admission to the promotion List "E" after examination of the service records/ ACRs. While conducting the D.P.C., the

rules and norms framed for the parallel ranks in the executive police by the Police Headquarter shall be followed.

(3).The Assistant Sub -Inspector brought on List "E" shall be given training in Grade-I course and after qualifying this course, they shall be promoted to the rank of Sub -Inspectors in order of seniority on List "E" after examination of the service records /ACRs. While conducting the D.P.C., the rules and norms framed for the parallel ranks in the executive police by the Police Headquarter shall be followed.

(4). Assistant Sub-Inspectors on promotion List "E" who fails to qualify the Grade-I course shall be given second chance for clearing test after six months duration and promoted to the rank of Sub Inspector only after they qualify this course. If such a Assistant Sub Inspector again fails to qualify Grade-I course, his name shall be removed from the promotion list "E".

(5). The remaining 40% of the posts of Sub -Inspectors shall be filled up by two modes of recruitments

i.e. 20% through direct recruitment and 20% by conducting Limited Departmental Competitive Examinations. The educational qualification for these posts shall be Bachelor of Engineering /Bachelor of Technology /Associate Members of Institution of Engineers (Electronics and Telecommunication Engineering./ Computer Science / Information Technology) or Master of Computer Application /Department of Electronics Accreditation Certificate Course (DOEACC) "B" Level or equivalent from recognized institution(s).

(6). The direct recruitment of 20% posts shall be made through Subordinate Services Selection Board, Himachal Pradesh. The educational qualification for these posts shall be Bachelor of Engineering /Bachelor of Technology /Associate Members of Institution of Engineers (Electronics and Telecommunication Engineering./ Computer Science / Information Technology) or Master of Computer Application

/Department of Electronics Accreditation Certificate Course (DOEACC) "B" Level or equivalent from recognized institution(s).The age for direct recruitment for the post of Sub-Inspctor (C.T.S.) shall be 23 to 28 years. The directly recruited Sub Inspectors shall undergo recruitment training course for nine months at Police Training College. After passing the Recruit Training Course,they shall undergo a technical course for the duration of one month at Police Communication & Technical Services Training School.

(7). The remaining 20% posts shall be filled up by way of conducting Limited Departmental Competitive Examinations by the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from amongst the officials having educational qualification i.e. Bachelor of Engineering /Bachelor of Technology /Associate Members of Institution of Engineers (Electronics and Telecommunication Engineering./ Computer Science / Information Technology) or Master of Computer Application /Department of Electronics

Accreditation Certificate Course (DOEACC) "B" Level or equivalent from recognized institution(s). The officials with minimum service of seven years and age not exceeding 45 yeares in the directorate shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examinations, failing which the post(s) shall be filled up from direct recruitment quota.

The officials who qualify Limited Departmental Competitive Examinations shall undergo Grade-I course at Police Communication and Technical Services Training School.

(8) The physical standard for recruitment to the post of Sub Inspector for direct recruitment as well as for departmental candidates shall be the same as mentioned in clause (v) of rule 12 of these rules.

(9). The inter- se seniority of promotee and directly recruited officials shall be fixed on the basis of ratio fixed for promotion and direct recruitment.

Promotion List-F Promotion to the rank of Inspector

16. (1). Promotion List "F" shall be prepared once in a year by the Deputy Inspector General of Police. Selection to this List shall be made by the Director General of Police, Himachal Pradesh with the assistance of a Departmental Promotion Committee to be convened for the purpose. Only those officers shall be eligible for the inclusion of their names in promotion List "F" who are substantive Sub- Inspector(s) with at least 5 years service in the rank of Sub- Inspector.

(2). Promotion to the rank of Inspector shall be made in accordance with the seniority List "F". Departmental Promotion Committee headed by Inspector General of Police shall check service particulars/ACRs and recommend the names of eligible Sub- Inspectors for promotion to the rank of Inspector. While conducting the D.P.C., the rules and norms framed for the parallel ranks in the executive police by the Police Headquarter shall be followed.

Power to Relax. 17. Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

Interpretation. 18. If any doubt arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

Repeals and savings. 19. (1). The Standing Order No. 1 of 1999 for Himachal Pradesh Police Wireless Organization as approved by the Government of Himachal Pradesh vide letter No. Home (A) B (12) 1/99 dated nil and Standing Order No. P-1 (5) Comp.(SCRB)/93-02 -10454-55 Dated 22-07-2002 and the provisions of Punjab Police Rules, 1934 in their application to the State of Himachal Pradesh are hereby repealed to the extent these are applicable to the posts included in these rules.

(2). Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules or Standing Orders so repealed shall be deemed to have

been validly made, done or taken under these rules.

By order
Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Home (A) A (1) - 7/2007 dated, Shimla-2, 28th **June,2010**

Copy to following for information and necessary action to:-

1. The Secretary to H. E. the Governor, H. P., Shimla-2.
2. The Secretary-cum-Principal Private Secretary to CM, HP,
3. Private Secretary to Chief Secretary, HP, Shimla-2.
4. Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Director General of Police, HP, Shimla-2, w.r.t. his letter No. Law-1-R&P/CTS/09-54458 dated 14-09-2009.
6. All the Addl. DGPs, HP.
7. All the Inspector Generals of Police, H.P.
8. All the Deputy Inspector Generals of Police, H. P.
9. All Divisional Commissioner of H.P.
10. All DCs of Districts in H.P.
11. All Supdt.s of Police in HP.
12. Asstt. Legal Advisor-cum-Under Secy. (Law), to the Govt. of H.P.
13. Sr. Law Officer-II, Law Department, H.P. Sectt.
14. The Controller, Printing and Stationery, HP, Shimla-5 for the publication in the HP Rajpatra.
15. Guard file.

28/06.

Under Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

***